राष्ट्रीय सेवा योजना
जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया

पता- शहीद स्मारक, निकट सुरहा ताल, जिला- बलिया, उ. प्र., पिन कोड- 277001

मोबाइल फोन नंबर- 9452400911 ई-मेल आईडी.- nssjncu@gmail.com

पत्रांक- जे.एन.सी.यू./एन.एस.एस./137/2024-25 **दिनांक- 06/12/2024**

अति महत्त्वपूर्ण/समयबद्ध

सेवा में,

प्राचार्य/ प्राचार्या,

राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित समस्त महाविद्यालय,

सम्बद्ध- जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।

विषय- राष्ट्रीय सेवा योजना की सलाहकार समिति की बैठक कराने के सम्बन्ध में।

महोदय/ महोदया,

अवगत कराना है कि राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना नियमावली (संशोधित) 2006 के अनुरूप राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित समस्त संस्थाओं की सलाहकार समिति (संरचना संलग्न है) का गठन करने और अति शीघ्र उसकी बैठक कराने का निर्देश प्राप्त हुआ है। अवगत कराया गया है कि सलाहकार समिति की बैठक नहीं कराने वाली संस्थाओं को वित्तीय वर्ष 2024-25 में शासन से अनुदान नहीं मिलेगा।

शासन से प्राप्त निर्देश के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध **समस्त महाविद्यालय एक सप्ताह के भीतर महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना की सलाहकार समिति की बैठक अनिवार्य रूप से करा कर, सलाहकार समिति के संगठन, बैठक में पारित कार्ययोजना तथा बैठक के एक फोटोग्राफ को विश्वविद्यालय के ई-मेल आईडी.- nssjncu@gmail.com पर प्रेषित करें, जिसके बाद इस माह के मध्य तक विश्वविद्यालय की सलाहकार समिति की बैठक कराई जा सके।** जिन महाविद्यालयों द्वारा इस वित्तीय वर्ष में सलाहकार समिति की बैठक कराई जा चुकी है, वे उपर्युक्त अभिलेख एवं फोटोग्राफ को तत्काल विश्वविद्यालय के ई-मेल आईडी. पर प्रेषित कर दें।

संलग्नक- राष्ट्रीय सेवा योजना नियमावली (संशोधित) 2006 के अनुसार सलाहकार समिति की संरचना की छायाप्रति।

भवदीय

06/12/2024

डॉ. (कृष्ण कुमार सिंह),

कार्यक्रम समन्वयक

राष्ट्रीय सेवा योजना, कार्यक्रम समन्वयक, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव, कुलपति जी को कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. कुलसचिव, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।
3. वित्त अधिकारी, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।
4. विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी, उच्च शिक्षा (राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक) विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रीय निदेशालय (उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड), लखनऊ।
6. सम्बन्धित पत्रावली।

06/12/2024
डॉ. (कृष्ण कुमार सिंह),
कार्यक्रम समन्वयक

राष्ट्रीय सेवा योजना
कार्यक्रम समन्वयक
जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया

Scanned with OKEN Scanner

4. College and +2 Schools Level NSS Advisory Committee

College and +2 Schools have to set up an NSS Advisory Committee to advise on programme/planning and development under the Chairmanship of the Principal. It will review the NSS activities at college and school level.

4.1 Composition of College/+2 Schools Advisory Committee

(a)	Principal	Chairperson
(b)	2 Staff members having social work background	Members
(c)	One representative of the development department	Member
(d)	One representative from the adopted village/slum/ Welfare agency	Member
(e)	2 NSS student leaders	Members
(f)	Programme Officer, NSS	Member Secretary

4.2 Frequency of the meeting

College/+2 schools Advisory Committee should meet at least four time during a year, once every quarter. The aim of holding periodical meetings is to assess the development of NSS programme in the institution and promote a sense of participation among the members of the staff, public and students for community work.

4.3 Limitations

The colleges/+2 school Advisory Committee will consider the proposals submitted by the Programme officer according to the administrative and policy directives. No administrative and financial changes can be made in the pattern of financial expenditure by the college Advisory Committee. As far as programme is concerned, the Advisory Committee is free to select the activities suitable for their area and people from amongst the activities, suggested in NSS Manual or added at state level.

5. Advisory Committee (NSS) at +2 level

Scanned with OKEN Scanner